आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

21/4/25

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-34/2024-25

अशोक मुण्डा, ...आवेदक।

बनाम्

राम सिंह इन्द्रवार ..... विपक्षी।

आदेश

आवेदक अशोक मुण्डा, पिता–देवनाथ मुण्डा, निवासी ग्राम–मोरहाबादी, थाना–बरियातु, जिला–राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन को विपक्षी राम सिंह इन्द्रवार, पिता–झेन्गटु इन्द्रवार, निवास स्थान–बिहाईन्ड टैगोर हिल, ललित मुण्डा कॉलोनी, मोरहाबादी, थाना–बरियातु, जिला–राँची द्वारा भूमि को छल प्रपंच से हड़प लिया गया है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
मोरहाबादी	192	56	181	08 डी०

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि के रिवीजनल सर्वे खतियान में खतियानी रैयत वीजैराम मुण्डा वो हरी मुण्डा वो मनजु मुण्डा पेशरान जगरनाथ मुण्डा वो वैजनाथ मुण्डा वल्द बोधराम मुण्डा का नाम दर्ज है। आवेदक ने अपने शपथ पत्र के साथ वंशावली दाखिल किये है, इसमें कहते हैं कि बोधराम मुण्डा अपने पीछे जगरनाथ मुण्डा एवं बैजनाथ मुण्डा को छोड़ गये। जगरनाथ मुण्डा अपने पीछे विजय राम मुण्डा एवं विजय राम मुण्डा अपने पीछे बाली मुण्डा, ललित मुण्डा एवं दर्शन मुण्डा को छोड़ गये। बैजनाथ मुण्डा अपने पीछे भंजु मुण्डा तथा हरि मुण्डा को छोड़ गये। भंजु मुण्डा अपने पीछे महाबीर मुण्डा एवं देवनाथ मुण्डा को छोड़ गये। देवनाथ मुण्डा अपने पीछे लालु मुण्डा,

21/4/25

कृ०पृ०उल्टे

21/4/25

महेन्द्र मुण्डा एवं अशोक मुण्डा (आवेदक) को छोड़ गये। आवेदक खतियानी रैयत के वंशज है, जिसे विपक्षी ने जबरन कब्जा कर लिया है।

विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, किन्तु विपक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। पुनः नोटिस निर्गत किया गया, जो वापस हो गया। इसके पश्चात् दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर के माध्यम से दिनांक—12.02.2025 को नोटिस प्रकाशित किया गया। इसके उपरांत भी विपक्षी न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं। तत्पश्चात् आवेदक ने वाद की सुनवाई एकपक्षीय करने हेतु आवेदन दिए, जिसे स्वीकार करते हुए दिनांक—21.03.2025 को विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय कर दिया गया।

आवेदक की ओर से दो गवाह प्रस्तुत किया गया। आवेदक की ओर से गवाह सं०—01 अशोक मुण्डा, पिता—स्व० देवनाथ मुण्डा अपने शपथ पत्र में कहते हैं कि तकरारी जमीन उनकी पुस्तैनी जमीन है। उनके दादा विजय राम मुण्डा वगै० का खतियान में नाम दर्ज है तथा लगान रसीद भी उनके पूर्वज के नाम से कट रहा है। आवेदक खतियानी रैयत का पोता है। आवेदक का वर्णित भूमि पर हिस्सा है। विपक्षी के द्वारा भूमि को अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है। गवाह सं०—02 अमित मुण्डा, पिता—रंजीत मुण्डा अपने शपथ पत्र में कहते हैं कि वे दोनों पक्षों एवं तकरारी जमीन को जानते हैं, आवेदक खतियानी रैयत के वंशज है। आवेदक और प्रतिवादी के मध्य जमीन की बिक्री हेतु एक एकरारनामा दिनांक—29.04.2014 को हुआ था। विपक्षी ने भूमि का न तो निबंधन करवाया और न ही राशि का भुगतान किया है, इसलिए मैंने यह भू—वापसी वाद दायर किया है। खतियान में विजय राम मुण्डा वगै० का नाम दर्ज है, आवेदक खतियानी रैयत का पोता है। आवेदक की ओर से खतियान की छायाप्रति तथा अंचल रसीद की छायाप्रति दाखिल की है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया तथा लिखित बहस भी दाखिल किया गया। इसमें कहते हैं कि विपक्षी मेरे 08 डिसमिल भूमि को गैर—कानूनी रूप से हड़प लिये है। आगे कहते हैं कि आवेदक और विपक्षी के मध्य दिनांक—29.04.2014 को 1,60,000 (एक लाख साठ हजार) रूपया कट्ठा की दर से

21/4/25

कृ०पृ०उल्टे

21/4/25

एकरारनामा हुआ था तथा अग्रिम राशि के रूप में 2,00,000 (दो लाख) रूपये का भुगतान विपक्षी ने आवेदक को किया था। आवेदक ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अंतर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राँची के न्यायालय में परमिशन का आवेदन दाखिल किये, लेकिन विपक्षी ने अपना आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किये। इसके पश्चात् विपक्षी ने वर्णित भूमि पर गलत तरीके से अपना बाउण्ड्री वॉल कर वर्ष 2014 ई० से दखल–कब्जा कर लिये हैं। इसके बाद आवेदक ने दो सिगल नोटिस दिनांक–11.05.2024 और दिनांक–11.06.2024 को विपक्षी को दिए इसमें कहते हैं कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 का परमिशन के लिए जरूरी कागजात को जमा करें तथा बकाया राशि देकर भूमि को निबंधित करायें। जमीन के स्थानांतरण के लिए उपायुक्त का परमिशन लेना अनिवार्य है। लेकिन विपक्षी ने ऐसा नहीं किया, इसलिए आवेदक ने छोटानागपुर कांश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत भू–वापसी के लिए केस किये है। एकरारनामा का समय सीमा भी समाप्त हो चुका था। अतः वर्णित भूमि आवेदक को वापस होना चाहिए। इस संबंध में आवेदक की ओर से माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के पारित आदेश का हवाला दिये है, जो निम्नवत् हैः–

"Rajeshwari Devi and Ors Versus The Commissioner, South Chotanagpur Division Bench 2006 (4) J.C.R 182 (Jhr)."

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71"A" के अंतर्गत प्रश्नगत् जमीन से विपक्षी राम सिंह इन्द्रवार, पिता–झेन्गटु इन्द्रवार, निवास स्थान–बिहाईन्ड टैगोर हिल, ललित मुण्डा कॉलोनी, मोरहाबादी, थाना–बरियातु, जिला–राँची को मौजा–मोरहाबादी, थाना नं०–192, खाता सं०–56, प्लॉट सं०–181, कुल रकबा–08 डिसमिल भूमि पर अवैध रूप से दखलकार को बेदखल करते हुए, आवेदक को जमीन वापस किया जाता है, तथा विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना हो तो 03 माह के अंदर हटा लें।

तदनुसार अंचल अधिकारी, बड़ागांई को दखल–देहानी हेतु आदेश निर्गत

21/4/25

कृ०पृ०उल्टे

21/4/25

करें कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार विपक्षी को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आवेदक सहित खतियानी रैयत के अन्य वैध वंशजो को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

21/4/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

21/4/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांकः– 132 (ii) दिनांकः– 30.04.25

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, बड़ागांई, राँची को प्रश्नगत भूमि पर वैध वंशजों को दखल–देहानी हेतु प्रेषित।

30/4/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.05.17 12:51:59 +05:30
Location: 192.168.165.39